न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0—33/2023 धारा—144 दं0प्र0स0

संतोष कुमार —बनाम— भानु प्रताप सिंह वगै0

तारीख	—: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :—	अभियुक्ति
		k

यह वाद आवेदक तथा इनके विज्ञ अधिवक्ता के आवेदन के आधार पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के अनुसार दिनांक 23.02.2023 को दं0प्र0स0 कि धारा 144 के तहत कार्रवाई को प्रारम्भ करते हुए दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 02 (दो) माह के लिए रोक लगाई गई।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

मौजा— चलकुशा, थाना—चलकुशा,जिला—हजारीबाग।

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहदी
264	727	1.34 ए0 मधे रकवा $0.33\frac{1}{2}$ ए0	उ0— नीज हिस्सेदार द0— नीज हिस्सेदार पू0— प्रकाश मोदी प0— भास्कर चरण सिंह

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना उनके द्वारा दाखिल कारण—पृच्छा एवं अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। अवलोकन में पाया कि द्वितिय पक्ष नोटिस प्राप्त करने के बावजुद उपस्थित नही हुए, पुनः द्वितिय पक्ष को न्यायालय में उपस्थित हो कर विवादीत भूमि के संबंध में अपना पक्ष रखने के आशाय से नोटिस डाक से किया गया जो अभिलेख में संलग्न है। डाक द्वारा नोटिस तामिला के पश्चात द्वितीय पक्ष द्वारा वाद में अभिरूचि नहीं लेते हुए लगातार सभी निंधारित तिथियों में अनुपस्थित रहें,जिससे स्पष्ट होता है द्वितिय पक्ष को इस वाद में किसी प्रकार कि कोई अभिरूचि नहीं है तथा प्रश्नगत भूमि के संबंध में इनके द्वारा अपने दावे के समर्थन में अपना पक्ष नहीं प्रस्तुत करने से प्रतित होता है कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा लाये गये विवादीत भूमि के संबंध में कोई आपत्ति नही है व इस संबंध में कुछ नही कहना है।

फलतः प्रश्नगत भूमि के संबंध में प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि से संबंधित दाखिल कागजातों के आधार पर वर्तमान वाद कि कार्रवाई प्रथम पक्ष के पक्ष में करते हुए समाप्त की जाती है।

Digitally signed by Poonam Kujur
Date: 2023.08.23 15:52:38 +05:30
Location: 192.168.1.45

लेखापित एवं संशोधित

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग